

18/12/11

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हैं।
प्रमाण निम्न प्रकार है -
प्रान्तशासन अन्तर्गत आय 75 (1914)
प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत बिरानी
द्वारा स्वीकृत किए गए इन्तकाल नं. 793
की अनुमति स्वरूप प्रस्तुत किया गया है
कि ग्राम शांतिपुरा में वृषि कार्यालय नं. 0.
251, 253, 284, 285, 286, 305 कुल 6
6 रकबा 2.43 HPT अन्नालाल कालान्य
ग्रामोन्नी जमीन वाली के नाम दर्ज है
थी। रकार्ड अन्नालाल द्वारा नं. 9.253
रकबा 0.95 HPT में ल 0.48 HPT का
दानपत्र दिनांक 19/2/18 को करीलाट्ट
पत्र में विषयवस्तु कलवाट्ट कालान्य
कर दिया गया था। नबत करीलाट्ट इन्त
भूमि पर काबिल कारव है। करीलाट्ट
द्वारा दानपत्र का बाल्यव रिजार्ड में अभ्य
करने हेतु प्रान्तशासन वृत्तीय में प्रस्तुत
किया गया, लेखिन नवमीन द्वारा इन्तकाल
दर्ज नहीं किया गया। इसी दौरान रकार्ड



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

का इच्छांत ही गयी तथा याच प्रत्येक
द्वारा संपूर्ण भूमि का फौजी वातावरण
द्वारा कर दिया गया जो विभागीय
हीन से नियंत्रण फरमाया जावे।

प्रार्थनाएत दर्ज रजिस्ट्रार का कार्यालय
को तलब किया गया। उभयपक्ष द्वारा
लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो सामान्य
पत्रावली है।

अप्रार्थनाएत द्वारा लिखित बहस में
स्वीकार किया गया है कि "स्वावेतार
अन्तर्गत द्वारा स्वतंत्र सं. 2532/का
0.95 एच में से 0.78 एच आरान्सी
का दानपत्र दिनांक 19/2/18 जो प्रार्थनाएत
के पक्ष में पंजीयन कराया गया था।
दानपत्र वाली आरान्सी का उपयोग व
उभयपक्ष अपीलान्त करते चले आ रहे
हैं। अतः अपील स्वीकार किचे न्याय
में रीटपोर्ट का कोई आरान्सी नहीं
हीन से अपील स्वीकार फरमादि जावे।"

इसमें एजावली, संवत्

स्वावेतारों व लिखित बहस का गहनतम



पुनः प्रारंभ

नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

अध्ययन किया तथा लम्बूरी तहसील
 पर जनन किया। जब कर्णवर्गीकरण
 द्वारा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार
 कर दिया गया है, अतः सिविल बैंडम
 अपीलान्ट को कर्णवर्गीकरण स्वीकार किया
 जाना न्यायानुविक साम है।

अतः प्रार्थना की जाती है कि
 एच.डी. श्री कलेश्वर रेड्डी का कर्णवर्गीकरण
 अन्तर्गत धारा 75 यू.एन.ए. को रद्द करने
 के लिए किया जाकर मात्र ब्रांजटपुर
 पट्टा सर्वे वीरपुर गा. पंचायत
 बांदा जिल्ला संख्या 993 दिनांक 20/8/19
 निरस्त किया जाता है तथा तहसील
 लाडपुर को निरस्त किया जाता है कि
 वह सर्वेक्षण पंजीकृत डानपन दिनांक
 19/02/2018 का राज्य रिजिस्ट्रार
 अमल द्वारा कैं तथा तदु-अपराध
 को रद्द करने पर अन्त
 वारीदान के नाम को भी नाराज कर
 दर्ज करे।



उपखण्ड अधिकारी
 कोटा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

निर्णय की पूरी पालना हेतु वृद्धीकरण
लाइपुडा को रेसिद की नॉरै ।
पत्रावली कैमल गुजार होकर डारिख
इफ्तर है ।

18/12/24

उपलब्ध अधिकारी
होय



श्रीमती सो...